

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना
दिनांक 16 मार्च, 2016

संख्या 8/पीजीटी.II/पं0 अ0 16/1952/धा0 22/2016.— पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 16), की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब यात्री तथा माल कराधान नियम, 1952, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

1. ये नियम पंजाब यात्री तथा माल कराधान (हरियाणा संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं ।
2. पंजाब यात्री तथा माल कराधान नियम, 1952 में, नियम 9 में, उप-नियम (2ड)(i) में, खण्ड (क) में,—
(I) क्रम संख्या 3 और 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा; तथा
(II) क्रम संख्या 2 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
- “3 12 व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता रखने वाली साधारण बस प्रति माह 125/- रुपये
(कांट्रेक्ट कैरिज परमिट धारक) प्रति सीट
- 4 12 व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता रखने वाली डीलक्स/अर्ध डीलक्स प्रति माह 175/- रुपये
(कांट्रेक्ट कैरिज परमिट धारक) प्रति सीट
- 5 12 व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता रखने वाली साधारण वातानुकूलित बस प्रति माह 200/- रुपये
(कांट्रेक्ट कैरिज परमिट धारक) प्रति सीट
- 6 12 व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता रखने वाली डीलक्स/अर्ध डीलक्स प्रति माह 300/- रुपये
वातानुकूलित बस प्रति सीट
(कांट्रेक्ट कैरिज परमिट धारक)
- 7 12 व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता रखने वाली लग्जरी वातानुकूलित बस प्रति माह 350/- रुपये
(कांट्रेक्ट कैरिज परमिट धारक) प्रति सीट” ।

रोशन लाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 16th March, 2016

No. 8/PGT-II/P.A. 16/1952/S.22/2016.—In exercise of the powers conferred by Section 22 of the Punjab Passengers and Goods Taxation Act, 1952 (Punjab Act 16 of 1952), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Passengers and Goods Taxation Rules, 1952, in their application to the State of Haryana, namely: -

1. These rules may be called the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Rules, 2016.
2. In the Punjab Passengers and Goods Taxation Rules, 1952, in rule 9, in sub-rule (2E) (i), in clause (a),-
(I) serial number 3 and 4 and entries thereagainst shall be omitted; and
(II) after serial number 2 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added, namely:—

“3	Ordinary bus with more than twelve persons seating capacity (contract carriage permit holder)	Rs.125/- per seat per month
4.	Deluxe/ Semi Deluxe bus with more than twelve persons seating capacity (contract carriage permit holder)	Rs.175/- per seat per month
5.	Ordinary AC bus with more than twelve persons seating capacity (contract carriage permit holder)	Rs.200/- per seat per month
6.	Deluxe/ Semi Deluxe AC bus with more than twelve persons seating capacity (contract carriage permit holder)	Rs.300/- per seat per month
7.	Luxury AC bus with more than twelve persons seating capacity (contract carriage permit holder)	Rs.350/- per seat per month”.

ROSHAN LAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.